# (TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION(i) OF THE GAZETTE OF INDIA)

Government of India Ministry of Science and Technology Department of Technology

New Delhi, the 13 Nov., 2000.

#### Notification

G.S.R. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science and Technology (Group 'A' Gazetted Posts (non-ministerial, Scientific and Technical) Rules, 1984, in so far as they relate to the post of Senior Scientific Officer, Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientist 'B' in the Department of Science and Technology, namely:-

- Short title and commencement :-
  - (i) These rules may be called the Department of Science and Technology (Scientist 'B') Recruitment Rules, 2000.
  - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and scale of pay : The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Scheduled annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications: The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.
- Disqualifications No person; (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Power to relax: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Contd '2/-

Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other 6. concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

"SCHEDULE"

(ATTACHED)

(VIJAY KUMAR) UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA [F.No.A.12018/1/99-Admn.I(A)]

To

The Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri Industrial Area, Near Rajouri Garden, New Delhi - with Hindi version.

state bes recomclassification and to traile or pay attached (4) of the Scheduled annexed to these rules.

tedio bas time in the president to the

the randomentalism of the rest of the property of the sections and the

#### Copy to:-

- The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New 1. Delhi-110 011 (5 copies) with reference to his letter no.3/1(5)/99-SWA dated 30.05.2000.
- The Department of Personnel & Training, Estt. R.R. Section, North Block, New Delhi with reference to his No. 808/DS/RR/99, dated 10.09.1999.
- The Ministry of Law & Justice (Legislative Department), Leg.I Section, Shastri Bhavan, 3. New Delhi - 1 with reference to their Dy. No.354/2000 dated 07.06.2000.
- The Official Language Division, (Ministry of Law, Justice and Company Affairs) Translation-I Section, Indian Law Institute Building, Bhagwan Dass Road, New Delhi with reference to their No.405/2000- वि-I. dated 22.69.2000.
- The Department of Parliamentary Affairs, New Delhi. 5
- Section Officer's folder / Guard file.
- Spare copies (25).

officed the Curtical Covers

UNDER SECRETARY TO THE GOVT, OF INDIA

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA)

Government of India / Bharat Sarkar Ministry of Science and Technology (Vigyan Aur Prodyogiki Mantralaya) Department of Science and Technology (Vigyan Aur Prodyogiki Vibhag)

New Delhi-110 016 Dated the 8th May, 2001

## CORRIGENDUM

In the Schedule attached to this Department's notification No.A. 12018/01/99-Admn. I(A) dated 13.11.2000 regarding Recruitment Rules for the post of Scientist 'B', the following words may be read as noted below:-

- (1) Wherever the words "Union Public Service Commission" appears in Note 1&2 under column 8, these may be read as "Seurch-Cum-Selection Committee".
- The words "Lahual, Spiti" in Note under column 6 may be read as "Lahaul & Spiti". (2)
- The word "from" under column 14 may be read as "for". (3)

[F.No.A.12018/01/99-Admn.I(A)]

1216 UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

To

The Manager, ' Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri Industrial Area, Near Rajouri Garden, New Delhi- with Hindi version.

### Copy to:-

The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110011(5 copies) with reference to his letter No.-3/1(5)/99-SWA dated 30.05.2000.

The Department of Personnel & Training, Estt, R.R. Section, North Block, New Delhi with reference to his No. 808/DS/RIV/99, dated 10.09.1999.

The Ministry of Law & Justice (Legislative Department), Leg.I Section, Shastri Bhavan, New Delhi-1 with reference to their Dy. No. 354/2000 dated 07.06.2000. 3

The Official Language Division, (Ministry of Law, Justice and Company Affairs) Translation-1 Section, Indian Law Institute Building, Bhagwan Dass Road, New Delhi with reference to their 4 No. 405/2000-I dated 22.09.2000.

The Department of Parliamentary Affairs, New Delhi. 5

Section Officer's folder/ Guard file. ...

Spare copies (25).

UNDER SECRETARY OT THE GOVT. OF INDIA

Name of post	Number of post	Classificat	Scale of pay	Whether Selection by Merit or Selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules. 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(0)	(10)
(1) Scientist 'B'	(2) 41 (2000) Subject to variation dependent on work- load	GCS GROUP 'A' GAZETT ED NON- MINIST- ERIAL	(4) 8000- 275- 13500	(5) SELECTION- CUM-SENIO- RITY	(6) NOT EXCEEDING 35 YEARS  (Relaxable for Government servants upto 5 (five) years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government).  Note: the crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of application from candidates in India (and not those in Assam. Meghalaya, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladhak Division of Jammu & Kashmir State, Lahual & Spiti District and Pangi Sub-Division	(7) YES	ESSENTIAL  Master's Degree in Natural/Agricultural Science or Bachelor's Degree in Engineering/Technology/Medicine.  Note1: The qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.  Note 2: The qualification(s) and experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes and other Backward Classes if any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.  DESIRABLE:  Specialised experience in Research and Development/Industrial/ Academic Institutions and / or Science and Technology	(9) AGE: NO Educational Qualification: YES  Sd/- Under Secretary Deptt. of Science and Technology New Delhi-16	(10) Two years direct recruits.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation /absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/Deputation Absorption grades from which Promotion/ Deputation Absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists. What is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted on making recruitment
(11)	(10)	(12)	(1.4)
(11)	(12)	(13)	(14)
PROMOTION / DEPUTATION (INCLUDING SHORT TERM CONTRACT)/ ABSORPTION / BY DIRECT RECRUITMENT  Note: The particular method of requirement for each post being decided by the Government in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirement of the same.  Sd/- Under Secretary Deptt. of Science and Technology New Delhi-16	PROMOTION  Junior Analyst with five years regular services in the grade  DEPUTATION (INCLUDING SHORT TERM CONTRACT) ABSORPTION:  Scientist or Technologist working in the Central /State Government //Universities /Recognised Research Instruction / Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations in India or abroad:-  (a) (i) holding analogues posts; or     (ii) with 5 (five) years regular service in post in the scale of Rs     6500-10500 or equivalent and (b) possessing the Educational Qualifications and experience laid     down for the Direct Recruitment under Column 8  NOTE 1: The Departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not eligible for consideration of appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.  NOTE 2: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, which is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying/ eligibility service.  NOTE 3: Officers of the Central / State Government shall only be eligible for absorption.  NOTE 4: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in	1. Group A Departmental Promotion Committee for considering promotion.  i) Chairman Member, Union Public Service Commission - Chairman  ii) Joint Secretary (Admn.), Department of Science and Technology - Member  iii) Scientist 'F', Deputy Secretary, Department of Science and Technology - Member  2. Group A Departmental Promotion Committee for considering confirmation  i) Secretary, Department of Science and Technology - Chairman  ii) Scientist 'G', Department of Science and Technology - Member  iii) Joint Secretary (Admn.), Department of Science and Technology - Member  3. Composition of Search-cum-Selection Committee for selection of candidates for appointment as Scientist 'B' on direct recruitment basis:  i) Chairman to be nominated by Secretary, Department of Science and Technology  ii) One or more Departmental officers of appropriate status to be nominated by Secretary, Department of Science and Technology  iii) Two or more outside experts to be nominated by Secretary, Department of Science and Technology  NOTE 1: At least 50% members of the Committee should be from outside the Department  NOTE 2: The officers mentioned at 3 (ii) should normally be at least two level above the level of the post for which Direct Recruitment is to be made.	CONSULTA- TION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NECESSARY FROM PROMOTION AND WHEN AN OFFICER IS IN THE FIELD OF CONSIDERA- TION FOR APPOINTMEN T ON DEPUTATION AND ABSORPTION BASIS.
	the same or some other organisation / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.	NOTE 3: The absence of a member of Committee other than the Chairman shall not invalidate the proceedings the Selection Committee.	

## (भारत के राजपत्र भाग-2 खण्ड-3 उपखण्ड (1) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग


नई दिल्ली, तारीख 13 नवास्त्र 2000

## अधिसूचना

सा. का. नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, समूह 'क' राजपत्रित पद (अननुसिचवीय विज्ञान और तकनीकी) नियम 1984 को जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी ॥ से है उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान में वैज्ञानिक 'ख' के पद/पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (वैज्ञानिक ख) भर्ती नियम, 2000 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. <u>पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:</u> उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. <u>भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं:</u> उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निर्हताः वह व्यक्ति
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दें सकेगी।



5. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

"अनुसूची संलग्न"

विजयाने मार

(विजय कुमार) अवर सचिव, भारत सरकार पत्र सं. ए 12018/1/99 प्रशा. । (ए)

पद का नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन -सह-ज्येंष्ठता या	सीधे भर्ती किए जाने	सेवा में जोड़े गए वर्षों
	संख्या			योग्यता के आधार पर	वाले व्यक्तियों के लिए	का फायदा केन्द्रीय सिविल
M.				चयन अथवा अचयन	आयु सीमा	सेवा (पैशन) नियम 1972
						के नियम 30 के अधीन
						अनुज्ञेय है या नहीं
1 = 2	2	3	4	5	6	7
	x				1 1 100 1	
वैज्ञानिक "ख"	41	साधारण सिविल	8000 -	चयन सह ज्येष्ठता	35 वर्ष से अधिक नहीं	ai ei
		सेवा समूह "क"	275 -			
	( 2000 )	राजपत्रित	13500 ₹	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों		
		अननुसचिवीय		के अनुसार सरकारी र	सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथि	ाल की जा सकती है 1)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों के से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिविकम जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ) ।

x कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

विजय हुमार Vijay Kumat अवर सचित्र Under Secretury अवर सचित्र Under Secretury विज्ञान और प्राचीगनित विभाग विज्ञान और प्राचीगनित विभाग विज्ञान के दिल्ली 16 विज्ञान के दिल्ली 16 विज्ञान सहर्गानी पांड, नई दिल्ली 16 विज्ञान Mehrauli Road, New Delhi-16

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

परिवीक्षा की उर् यदि कोई हो

8

9

10

आवश्यक :-

प्राकृतिक/कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री

या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी आयुर्विज्ञान में 🥻

आयु :

नहीं

सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

शैक्षिक अर्हता : हां

स्नातक डिग्री ।

टिप्पण: 1 - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण: 2

अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

वांछनीय:

अनुसंधान और विकास/औद्योगिक/शैक्षिक संसथानों और या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में

विशेषज्ञीय अनुभव ।

विजय दुमार Vijay Kumat
विजय दुमार Vijay Kumat
अवर सिन्धा Under प्रका विभाग
विज्ञान और प्रका प्रका विभाग
विज्ञान और प्रकार के रिक्की 16
Deptt. of Science & Technology
निमा महीलो राडि, नेड दिक्की 16
निमा महीलो सिंड, अंड प्रकार प्रकार के स्था महीलो सिंड, अंड प्रकार प्रकार के स्था महीलो सिंड, अंड प्रकार प्रकार के स्था महीलो सिंड के सि

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।

11

12

प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आमेलन सीधी भर्ती द्वारा ।

टिप्पण :

प्रत्येक पद के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धित उसकी कार्य अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित अर्हताओं के प्रतिनिर्देश से सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएगी। प्रो<u>लाति</u>:- ऐसा कनिष्ठ विश्लेषक जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है ।

प्रतिनिय्वित: -( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन:
केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/अर्द्ध सरकारों या कानूनी

या भारत अथवा विदेश में स्वायत्त संगठनों में कार्य कर रहे ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्:
(क)(1) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

- (ii) जिन्होंने 6500-10000/- रूपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और
  - (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के अधीन अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

विष्पण: 1 - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण: 2 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली हैं, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 3 :- केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधिकारी आमेलन के पात्र होंगे ।

टिप्पण 4:- ( प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केन्दीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । )

( Gragmiz

भिन्न कुमार Vijay Kumar भन्द तिच्च Under Secretary विज्ञान और प्रशासकी विभाग Deptt. of Science & Technology भया महर्शाली राज, नेह दिल्ली 16 भया महर्शाली राज, नेह दिल्ली 16 13

14

1	प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए समृह "क" विभागीय प्रोन्नित समिति :-
	(1) अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष
	(ii) संयुक्त सचिव (प्रशा.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य
	(III) वैज्ञानिक एफ/उप सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य
2.	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समुह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :-
	(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष
	(ii) वैज्ञानिक "जी" विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य
	(iii) संयुक्त सचिव (प्रशा.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य
3.	सोधी भर्ती के आधार पर वैज्ञानिक "बी" के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के
	चयन के लिए तलाशी सह चयन समिति की संरचना :-
	(i) अध्यक्ष जो सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
	(ii) समुचित हैसियत के एक या अधिक विभागीय अधिकारी जो सचिव,
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे - सदस्य
	(III) दो या अधिक बाहर के विशेषज्ञ जो सचिव, विज्ञान और
	प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे । - सदस्य
टिप्पण	1: - समिति के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य विभाग के बाहर से होने चाहिए ।
	_2:- 3 (ii) पर उल्लिखित अधिकारी साधारणतया उस पद के, जिसके लिए सीधी

भर्ती की जानी है, स्तर से कम से कम दो स्तर ऊपर के पद के होने चाहिए !

टिप्पण 3:- अध्यक्ष से भिन्न समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से चयन समिति की

कार्यवाहियां अधिमान्य नहीं होंगी ।

प्रोन्नित के लिए और जब कोई अधिकारी
प्रितिनियुक्ति और आमेलन के आधार पर
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के क्षेत्र
में हो तब संघ लोक सेवा आयोग से
परामर्श करना आवश्यक है।

Jan Namis

।वजय कुमार/Vijay Kumar अवर सांचव/Under Secretary विज्ञान और प्रशासकी किम म Deptt. of Science & Tech.clcgy नया महरोली शंड, नह दिल्ली 16 New Mehrauli Road, New Delhi-16